भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1930
29.11.2019 को उत्तर के लिए

दावानल

1930. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में दावानल के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने मामले हुए हैं और उनसे कितना अनुमानित नुकसान हुआ है; और
(ख) देश में दावानल से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) चालू वर्ष के दौरान दावानल के मामलों की कुल संख्या के साथ उनसे होने वाले अनुमानित नुकसान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कई दौर के परामर्श के उपरांत अप्रैल, 2018 में दावानल संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई। इस योजना का उद्देश्य वनों के निकट रहने वाले समुदायों को जानकारी देकर, उन्हें समर्थ और सशक्त बनाकर तथा उन्हें राज्य वन विभागों के साथ मिलकर काम करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करके दावानल की घटनाओं में कमी लाना है। इस योजना का उद्देश्य देश में मौजूद विविध वन पारि-तंत्रों में स्थित वनों की दावानल के जोखिमों की संवदेनशीलता में काफी हद तक कमी लाना, वन कार्मिकों तथा संस्थाओं की दावानल से निपटने की क्षमताओं में वृद्धि करना और दावानल की घटना के उपरांत बहाली कार्य में तेजी लाना भी है।

यह मंत्रालय देश में दावानल, जल प्रदूषण और खतरनाक पदार्थों के कारण होने वाली आपदा के प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दावानल की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में एक संकट प्रबंधन समिति गठित की गई है। दावानल के प्रबंधन की निगरानी और समीक्षा के लिए, मंत्रालय में सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय निगरानी समिति गठित की गई है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक इस समिति के सदस्य हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, जो मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, दावानल की घटनाओं का पता लगने पर राज्य वन विभागों और अन्य पंजीकृत मोबाईल प्रयोक्ताओं को उपग्रह-आधारित दावानल संबंधी चेतावनियां प्रसारित करता है। आज की तिथि तक एफएसआई से दावानल की चेतावनियां प्राप्त करने हेतु लगभग 69,000 प्रयोक्ताओं को पंजीकृत किया गया है।

चूंकि वनों का प्रबंधन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, अत: दावानल की रोकथाम और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों पर होती है। मंत्रालय द्वारा केन्द्र-प्रायोजित दावानल निवारण और प्रबंधन योजना के तहत दावानल की रोकथाम और प्रबंधन के विभिन्न उपायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके दावानल की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दावानल की रोकथाम और प्रबंधन हेतु वार्षिक प्रचालन योजना तैयार की जाती है और निधियां जारी की जाती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, दावानल से निपटने वाले कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करने, उन्हें उपर्युक्त दावानल उपशामक उपकरण उपलब्ध कराने तथा दावानल प्रबंधन हेतु कार्यकलाप संचालित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिपूरक वनीकरण कोष नियम, 2018 के तहत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

****

अनुबंध

'दावानल' के संबंध में श्री जगदम्बिका पाल द्वारा दिनांक 29.11.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1930 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2019 में दावानल की घटनाओं की सूचित संख्या और अनुमानित नुकसान का ब्यौरा

राज्य		रिपोर्ट की गई घटनाओं की संख्या	अनुमानित नुकसान (लाख में रु.)
1	आंध्र प्रदेश	530	0.00 **
2	अरुणाचल प्रदेश	13	0.00 **
3	असम	0	-
4	बिहार	490	0.00 **
5	चंडीगढ़	0	-
6	छत्तीसगढ़	17,506	0.00 **
7	दादर और नगर हवेली	0	-
8	दमन और दीव	0	-
9	दिल्ली	5	0.00 **
10	गोवा	10	0.00 **
1 1	गुजरात	490	5.52
12	हरियाणा	08	13.92

13	हिमाचल प्रदेश	855	81.90
14	जम्मू और कश्मीर	281	0.00 **
15	झारखंड	7501 *	0.00 **
16	कर्नाटक	169	0.00 **
17	केरल	581	1.45
18	मध्य प्रदेश	4609	0.00 **
19	महाराष्ट्र	6223	54.51
20	मणिपुर	1 1	0.00
21	मेघालय	1054	0.00 **
22	मिजोरम	12	0.00
23	नगालैंड	0	-
24	लक्षद्वीप	0	-
25	ओडिशा	19,787	0.00 **
26	पुडुचेरी	0	-
27	पंजाब	69	1.09
28	राजस्थान	394	12.07
29	सिक्किम	56	0.00 **
30	तमिलनाडु	1605	0.00 **
31	तेलंगाना	13900 *	0.00
32	त्रिपुरा	3	0.00 **
33	उत्तर प्रदेश	677	4.71
34	उत्तराखंड	2150	55.72
35	पश्चिम बंगाल	124	5.32

* दावानल चेतावानियों की संख्या

** केवल जमीन पर आग लगी। वन संपदा और वन्यजीवों को कोई खास नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

****